संख्या-417/2017/1847/22-2-2016-17(390)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री सूरजमल, निवासी-जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री सूरजमल, निवासी-रार्धना, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। एक दिन पूर्व में दोनों पक्षों में हुई कहासुनी एवं नाराजगी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 13.07.1994 को प्रात: लगभग 07:00 बजे करतार के घर पर हमला कर लाठियों से मारकर कई व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया जिनमें से राजकुमार की उपचार के दौरान दिनांक 17.07.1994 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1211/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, मेरठ के आदेश दिनांक 13.11.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से बाहर हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2016 तक 21 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है तथा जेल दण्ड 03 हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर करतार के घर पर हमला कर लाठियों से मारकर कई व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करने, जिनमें से राजकुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री सूरजमल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजपाल (बन्दी संख्या-7831) पुत्र श्री सूरजमल निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-417/2017/1847(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-417/2017/1847/22-2-2016-17(390)/2009

दिनांक 09 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री सूरजमल, निवासी-रार्धना, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। एक दिन पूर्व में दोनों पक्षों में हुई कहासुनी एवं नाराजगी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 13.07.1994 को प्रात: लगभग 07:00 बजे करतार के घर पर हमला कर लाठियों से मारकर कई व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल किया जिनमें से राजकुमार की उपचार के दौरान दिनांक 17.07.1994 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1211/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, मेरठ के आदेश दिनांक 13.11.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से बाहर है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2016 तक 21 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है तथा जेल दण्ड 03 हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर करतार के घर पर हमला कर लाठियों से मारकर कई व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करने जिनमें से राजकुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजपाल पुत्र श्री सूरजमल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।